FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0219 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/08/2026 11:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 15/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 15/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/08/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/08/2026 11:26:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MOJPUR/LAXMANGARH JILA ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUNFED KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PANCHIYA KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2003 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAFANWARA, LAXMANGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAFANWARA, LAXMANGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GAFUR KHAN		पिता:JUMMA KHAN	1. MOJPUR,LAXMANGARH,ALWA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2026 को वक्त करीब 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री मुनफेद खां पुत्र श्री पाच्या खां ग्राम कफनवाडा थाना लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि ''मैं मुनफेद खां पुत्र श्री पाच्या खां ग्राम कफनवाडा थाना लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का निवासी हूं। थाना लक्ष्मणगढ के मुकदमा नम्बर 193/2026 ठगी के मुकदमे में मुलजिम मनीष कुमार को गिरफतार किया हुआ था। मनीष कुमार से नाम पते अन्य साथियों का नाम लेकर उस मुकदमे में मेरे भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व चचेरे भाई साजिद का नाम जोड दिया है। जबकि इन लोगो ने कोई ठगी नहीं की है। हमारे भाई व जीजा व चचेरे भाई का नाम कटवाने के लिए मैं दिनांक 12.05.2026 को दोपहर बाद थाना लक्ष्मणगढ गया वहा पर मुझे विजय मीणा जी मिले उन्होने मुझे एसएचओ नेकी राम से मिलवाया और कहा कि तुम्हारे भाई का नाम मुकदमे में है अगर उसका व अन्य का नाम हटवाना चाहते हो तो पांच लाख रूपये देने पडेगे मैनें कहा कि मेरा भाई ठगी का काम नहीं करते है और एसएचओ साहब ने मुझे बाहर जाने का कहा विजय मीणा मुझे बाहर लाया और बोला कि तुम गफूर से मौजपुर जाकर मिले तब मैं वहा से आ गया और दिनांक 13.05.2026 को मैं मोजपुर गफूर के घर गया। गफूर ने मेरे सामने एसएचओ व विजय मीणा से मोबाईल से बात की और बोला की एसएचओ साहब पांच लाख रूपये मांग रहे है, पर मैं कुछ कम करवा दुंगा और तुम्हारे भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व ताऊ का लडका साजिद का नाम हटवा दुंगा। श्रीमान जी मेरे भाई व जीजा ने कोई ठगी नहीं की है वो केवल एफआईआर में नाम लिखकर हमसे रूपये लेना चाहते है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। जिसका अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री मुनफेद खां को पढकर सुनाया जाकर दरियाफ्त की गई तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि एचएचओ साहब नेकी राम व विजय मीणा एवं गफूर खां से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया है। परिवादी मुनफेद ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अपने परिचित द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री मुनफेद खां ने पुलिस थाना लक्ष्मणगढ की एफआईआर 193/2026 की फोटो कॉपी अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। उक्त को शामिल कार्यवाही किया गया। एफआरआई के अवलोकन करने से उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री नेकी राम, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के द्वारा किया जा रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर दिनांक 15.05.2026 को वक्त करीब 11.30 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में एस.डी. मैमोरी कार्ड ैंदकपे 8 ळठ लगाकर को परिवादी श्री मुनफेद को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री रामजीत सिंह कानि. 206 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो सके वह दलाल श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति) से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता एसएचओ लक्ष्मणगढ की उपस्थिति में करे तथा दलाल व एसएचओ लक्ष्मणगढ से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री रामजीत सिंह कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री मुनफेद को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। श्री रामजीत कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व श्री रामजीत कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.15 पी.एम पर श्री रामजीत कानि. मय परिवादी श्री मुनफेद के ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री रामजीत कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री परिवादी श्री मुनफेद ने बताया कि आज मैं और आपका कर्मचारी रामजीत मेरी गाडी से आपके कार्यालय से रवाना होकर मौजपुर बस स्टैण्ड के पास पहूंचे जहां पर आपके कर्मचारी द्वारा डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर मेरे को सुपुर्द किया तथा मैं, रामजीत को मौजपुर

बस स्टैण्ड के पास गाडी से उतारकर दलाल गफूर के घर गया जहां गफूर घर से बाहर निकलता हुआ मिला जिसने कहा मैं नमाज पढ आता हूं। मैं गफूर के घर पर ही उसका इन्तजार करने लगा करीब 30-35 मिनट बाद गफूर नमाज पढ कर आया और दुआ सलाम होने के बाद काम के बारे में बात करने लगे तो उन्होने मेरे रिश्तेदार सोहिल के मोबाईल नम्बर मांग कर उससे बातचीत करने के बाद मुकदमा नम्बर 193/2026 ठगी के मुकदमे में मेरे भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व चचेरे भाई साजिद के नाम निकलवाने के लिए एसएचओ नेकी राम के लिए 4,00,000/- रूपये की मांग की है। मेरे द्वारा 370000/- रूपये की व्यवस्था ही होने की कहने पर गफूर ने कहा कि आप 4,00,000/-रूपये ले आओ में एसएचओं को होटल या और कही बुला लुंगो और आपके सामने बात कर लेंगे जब पैसे कम ज्यादा करवा लेगें। एक बार पैसे ले आओ और पैसे चार पांच बजे तक लाने के लिए कहा है और उसके बाद मैं, गफूर के घर से बाहर निकल कर आपके कर्मचारी रामजीत पास आया और चालू हालत में टेप रिकॉर्डर दे दिया। जिसे उसने बन्द कर अपने पास रख लिया। उसके बाद मैं और आपका कर्मचारी रामजीत मेरी गाडी से आपके कार्यालय आ गये। उक्त बातों की ताईद श्री रामजीत सिंह कानि. के द्वारा भी की गई। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर वार्ता के मुख्य अंश को सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी दलाल गफूर द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में दर्ज मुकदमें में से परिवादी के भाई व जीजा एवं चचेरे भाई के नाम निकलवाने के लिए एसएचओ नेकी राम के लिए 4,00,000/-रूपये की मांग करना पाया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर परिवादी से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी श्री मुनफेद ने बताया मैं पैसो की व्यवस्था कर कल सुबह आपके कार्यालय आ जाऊंगा। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 16.05.2026 को 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने व गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया। तत्पश्चात दिनांक 16.05.2026 को वक्त करीब 7.00 ए.एम पर श्री मुनफेद खां उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपी श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ व श्री विजय मीणा हैड कानि. पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के दलाल श्री गफूर खां को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब 2,50,000/- रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है, जो मैं साथ ही लेकर आया हूं। इस पर परिवादी से पूछा कि आरोपी दलाल गफूर ने तुमसे दिनांक 15.05.2026 की वार्ता अनुसार 4,00,000/-रूपये की रिश्वत की मांग की है। तुम 2,50,000/- रूपये ही लेकर आये हो, इस पर परिवादी ने कहा कि मैं शेष राशि आईन्दा देने की कह दुंगा। इस पर वक्त करीब 8.00 ए.एम पर पाबन्दशुदा गवाहान श्री कार्तिक नन्दा पुत्र श्री राजकुमार उम्र 26 साल जाति वालमीकी निवासी हजूरी गेट अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व श्री राजन मीणा पुत्र श्री कमल मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी देवयानी हॉस्पिटल के पिछे अलवर हाल कानि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर हाजिर कार्यालय आये। परिवादी श्री मुनफेद खां का दोनों गवाहान से परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 15.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ व श्री विजय मीणा हैड कानि. पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के दलाल श्री गफूर खां से करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी निकाल कर लैपटॉप की सहायता से रिश्वत मांग वार्ता के मुख्य अंश को सुनाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी मुनफेद खां पुत्र श्री पाच्या खां जाति मेव उम्र 23 निवासी ग्राम कफनवाडा, पुलिस थाना व तहसील लक्ष्मणगण जिला अलवर को आरोपी श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ व श्री विजय मीणा हैड कानि. पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के दलाल श्री गफूर खां को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 500 नोट कुल राशी 2,50000/- रूपये अपने साथ लाये कैरी बैग जिस पर बाबा ठाकुरदास एण्ड सन्स कलाकन्द सोप लिखा हुआ है मे से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,50,000 /-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 500 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामसिंह कानि. 549 को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री रामसिंह कानि. से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटा पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री मुनफेद खां की जामा तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे

हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 500 नोटो कुल 2,50000/- रूपये परिवादी अपने साथ लाये एक छोटा कैरी बैग जिस पर बाबा ठाकूरदास एण्ड सन्स कलाकन्द सोप लिखा हुआ में श्री रामसिंह कानि. से रखवाये गये, तथा उक्त कैरी बैग पर भी फिनोफ्थैलीन पाउडर लगावाया गया तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त कैरी बैग से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेपपार्टी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्टाफ से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि. की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री मुनफेद खां व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार का जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से स्टाफ से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये तथा श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि. को परिचय पत्र व मोबाईल के अतिरिक्त कुछ भी अपने पास नहीं रखने के निर्देष दिये गये । तत्पष्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 08 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री रामजीत कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे। श्री रामसिंह कानि. को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 12.00 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्री भीम सिंह कानि. 192, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भगवान सिंह कानि.125 के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.05.2016 का एसडी मैमोरी कार्ड एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द व दो प्राईवेट वाहन से व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सरकारी मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री मुनफेद खां व रामजीत सिंह कानि. 206 को परिवादी के साथ उसकी गाडी से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब लक्ष्मणगढ के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.45 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा श्यामगंगा से आगे अहीर का तिबारा के पास पहूंचे जहां वाहनो को रोड से नीचे साईड में खडा करवाकर। संदिग्ध आरोपी दलाल श्री गफूर खां की लोकेशन जानने के लिए परिवादी मुनफेद खां के मोबाईल से दलाल श्री गफूर खां के मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो दलाल गफूर खां ने फोन नहीं उठाया उसके बाद दो बार फोन करवाया गया तो फोन नहीं लगा। जिस पर अहीर का तिबारा पर ही दलाल गफूर खां के फोन आने का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 01ः45 पीएम तक परिवादी के पास दलाल गफूर खां का बैक कॉल नहीं आने पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से वार्ता करवाई तो आरोपी दलाल ने अस्पताल में अलवर आना बताया तथा परिवादी को चार पॉच बजे आरोपी दलाल के गांव मौजपुर आने का कहा है। तत्पश्चात वक्त करीब 1.50 पी.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता अनुसार आरोपी दलाल ने परिवादी को चार पांच बजे अपने गांव मौजपुर में बुलाया है। जिसमें समय होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये वाहनो से अहीर का तिबारा से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 2.30 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा अहीर का तिबारा से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी के पास रखे पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को एक अखबार में रखवाकर श्री रामसिंह कानि. 549 से कार्यालय की टेबिल की रेक में रखवाया गया। वक्त करीब

2.40 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री मुनफेद खां के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मध्य दिनांक 15.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 8 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर दिनांक 15.05.2026 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी में रखे गये, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड को आज दिनांक 16.05.2026 को रिकॉर्डर से निकालकर ट्रैप कार्यवाही के दौरान साथ लेकर गये थे जिसे विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री मुनफेद खां व दोनो गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री मुनफेद खां ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) की होने की पहचान की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk Cruzer Blade 32 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मुनफेद खां के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा आर्टीकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। वक्त करीब 5.00 पी.एम पर परिवादी व आरोपी दलाल के मध्य हुई वार्ता अनुसार चार पांच पीएम पर बुलाने के लिए हुई वार्ता अनुसार दोनों गवाहान के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को कार्यालय की टेबिल की रेक में रखा गया को श्री रामसिंह कानि. द्वारा पुनः परिवादी मुनफेद को दिलवाकर, अखबार को बाहर फिकवाया गया। श्री रामसिंह कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सुनीता हैड कानि0 148, भीम सिंह कानि. 192, भास्कर हैड कानि. 59, भगवान सिंह कानि.125 के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया एसडी मैमोरी कार्ड सनडिस्क 8 जीबी एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द व दो प्राईवेट वाहन से व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सरकारी मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री मुनफेद खां व रामजीत सिंह कानि. 206 को परिवादी के साथ उसकी गाडी से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब आरोपी दलाल के गांव मौजपुर के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त करीब 6.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा मौजपुर के पास पहूंचे जहां वाहनो को रोड से नीचे साईड में खडा करवाकर। संदिग्ध आरोपी दलाल श्री गफूर खां की लोकेशन जानने के लिए परिवादी मुनफेद खां के मोबाईल से दलाल श्री गफूर खां के मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो दलाल गफूर खां ने फोन नहीं उठाया, परिवादी से आरोपी दलाल को कई बार फोन करवाये जाने पर भी फोन नहीं उठाया गया। परिवादी ने बताया कि गफूर खां मेरे पर शक करता है। इस परिवादी ने बताया कि मेरी दलाल गफूर खां मेरे मामा ससूर का जानकार है। मेरी मुलाकात उनके माध्यम से ही है। मैं कल मेरे मामा ससूर को कार्यवाही के लिए साथ लेकर आ जाऊंगा। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम पर परिवादी की आरोपी दलाल से वार्ता नही होने ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं है। जिस पर परिवादी को एसीबी ऑफिस चलने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया साहब मेरा घर पर काम है। कल मैं मेरे मामा ससूर को कार्यवाही के लिए साथ लेकर आपके कार्यालय आ जाऊंगा। यदि दलाल का कोई फोन आयेगा या कोई बातचीत होगी तो मैं आपको फोन कर बता दुंगा। जिस पर परिवादी के पास रखे पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को परिवादी से श्री भास्कर हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी दलाल का कोई फोन आने पर तुरन्त मन उप अधीक्षक को अवगत कराने व गोपनीयता की हिदायत देकर उसकी

गाडी से रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये वाहनो से मौजपुर से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 7.30 पी.एम परमन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मोजपुर से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहन के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को परिवादी से श्री भास्कर हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को कार्यालय की टेबिल की रेक में रखवाया जाकर श्री भास्कर हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा दोनों गवाहान व स्टाफ को दिनांक 17.05.2026 को सुबह 8.00 बजे उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री मुनफेद ने जरिये वाट्सअप कॉल बताया कि मैं, मेरे मामा ससुर श्री फारिस खां निवासी जूना खेडा पहाड को साथ में लेकर आरोपी दलाल श्री गफूर खां से मिले तो गफूर खां ने बताया कि मेरे पास थानेदार साहब का फोन आया था, उसने कहा है कि ये मुनफेद दो तीन दिन हो गये है आपको पैसे नहीं दे रहा है कही कोई गडबड तो नहीं है इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, इसको मेरे पास मत लेकर आना, कोई बीच का जिम्मेदार आदमी हो तो उसको साथ लेकर आना अपन बातचीत कर लेंगे तब गफूर ने हमसे कहा कि कल मैं और फारिस खां थानेदार से मिल लेंगे। जब हमारी थानेदार से बातचीत हो जाएगी तब फारिस खां तुझे फोन कर देगा। जब तुम पैसे लेकर आ जाना। इस पर मन उप अधीक्षक ने परिवादी से पूछा कि आपके मामा ससूर फारिस खां कार्यवाही में शामिल रहेंगे तो परिवादी ने सहमती दी इस पर उनको दिनांक 17.05.2026 को सुबह 7.00 बजे कार्यालय में साथ लाने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 ए.एम पर परिवादी श्री मुनफेद खां एक व्यक्ति के साथ उपस्थित कार्यालय आये। जिसे परिवादी ने अपने मामा ससुर श्री फारिस खां निवासी जूना खेडा पहाड तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर होना बताया।परिवादी ने यह भी बताया दिनांक 16.07.2026 को इन्ही के साथ दलाल श्री गफूर खां से मिले तो गफूर खां ने बताया कि मेरे पास थानेदार साहब का फोन आया था, उसने कहा है कि इस मुनफेद को दो तीन दिन हो गये है आपको पैसे नहीं दे रहा है कही कोई गडबड तो नहीं है इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, इसको मेरे पास मत लेकर आना, कोई बीच का जिम्मेदार आदमी हो तो उसको साथ लेकर आना अपन बातचीत कर लेंगे तब गफूर ने हमसे कहा कि कल मैं और फारिस खां थानेदार से मिल लेंगे जब हमारी थानेदार से बातचीत हो जाएगी तब फारिस खां तुझे फोन कर देगा, जब तुम पैसे लेकर आ जाना। उक्त सारी बाते मैनें फोन पर बता दी थी। इस पर मन उप अधीक्षक ने परिवादी के साथ आये परिवादी के मामा ससुर श्री फारिस खां से दरियाफत पूछताछ की तो उक्त बातों की ताईद की, परिवादी मुनफेद ने बताया मामा ससूर फारिस खां आगे कार्यवाही में शामिल रहेंगे जिस पर फारिस खां ने आगे की कार्यवाही में शामिल होने की सहमती दी गई। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2026 को वक्त करीब 8.10 ए.एम पर पाबन्दशुदा गवाहान श्री कार्तिक नन्दा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व श्री राजन मीणा, कनि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर हाजिर कार्यालय आये। कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री मुनफेद खां के समक्ष परिवादी के मामा ससुर श्री फारिस खां का दोनों गवाहान से परिचय करवाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान को अवगत करवाया गया कि श्री फारिस खां आगे की ट्रेप कार्यवाही में शामिल रहेंगे। तत्पश्चात वक्त करीब 9.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को परिवादी से प्राप्त कर कार्यालय की टेबिल की रेक में रखा गया को श्री रामसिंह कानि. द्वारा परिवादी मुनफेद को दिलवाकर, अखबार को बाहर फिकवाया गया। श्री रामसिंह कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये तथा श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि. को परिचय पत्र व मोबाईल के अतिरिक्त कुछ भी अपने पास नहीं रखने के निर्देष दिये गये ।तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री मुनफेद खां व परिवादी का मामा ससुर श्री फारिस खां मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, भीम सिंह कानि. 192, भगवान सिंह कानि.125, श्री रामजीत सिंह कानि. 206 के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया एसडी मैमोरी कार्ड सनडिस्क 8 जीबी एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व एक प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी की गाडी से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब लक्ष्मणगढ के लिये रवाना हुआ । श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.40 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व परिवादी का मामा ससुर श्री फारिस खां एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के पास पहूंचे जहां वाहनो को रोड से नीचे साईड में खडा करवाकर वहां परिवादी ने अपने परिचित व्यक्ति द्वारा दो मोटरसाईकिल उपलब्ध करवाई गई संदिग्ध आरोपी दलाल श्री गफूर खां की लोकेशन जानने के लिए परिवादी के मामा ससुर श्री फारिस खां के मोबाईल से श्री गफूर खां के मोबाईल पर फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो दलाल गफूर खां ने थाने पर एक घन्टे के बाद बुलाया और कहा थाने के बाहर मिल जाना, मैं आ रहा हूं फिर मैं आपको

थानाधिकारी से मिलवा दुंगा। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी थानाधिकारी श्री नेकीराम का रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी के मामा ससूर श्री फारिस को दिया जाकर मोटरसाईकिल से पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के लिए रवाना किया तथा एक मोटर साईकिल से श्री सुण्डाराम हैड कानि0 को उनके पीछे-पीछे निगरानी के लिए रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक, परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेपपार्टी वहीं पर इंतजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 12.55 पी.एम पर परिवादी का मामा ससुर श्री फारिस खां पुलिस थाना लक्ष्मणगढ गया हुआ मोटरसाईकिल से मन उप अधीक्षक के पास आया तथा सपरिवादी के पीछे गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. भी उपस्थित आया। सपरिवादी ने चालू हालत में डिजीटल टेप अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर अपने पास रख लिया और बताया साहब मैं आपके पास से रवाना होकर थाने के बाहर गया और थाने के बाहर जाकर रूक गया। आपका कर्मचारी भी पीछे पीछे आकर थाने के पास रूख गया जहां थोडी देर बाद गफूर खां आ गया जो मुझे थाने के अन्दर ले गया जहां एक सिपाही मिला जिनसे गफूर ने एसएचओ साहब के बारे में पूछा तो थाने के सिपाही थाने में बने सरकारी क्वाटरो की तरफ गया और थोडी देर बाद वापस आकर गफूर खां को कहा साहब के बच्चे आये हुये है वह अभी आपसे नहीं मिल पायेगें शाम को चार पांच बजे के बाद मिलने के लिए कहा है। गफूर व थाने का सिपाही अन्य बाते करते रहे, और मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया उक्त वार्ता मैनें आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। इस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. से पूछा गया तो सुण्डाराम हैड कानि. ने परिवादी के कथनो की ताईद की, सपरिवादी ने बताया कि गफूर खां मुझे एसएचओ साहब से बात कर मुझे शाम को मिलने बुलाएगा। इस पर संदिग्ध आरोपी थानाधिकारी श्री नेकीराम से गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए श्री सुण्डाराम हैड कानि. को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लगे जिसमें परिवादी के मामा ससूर व दलाल गफूर व थाने के कर्मचारी की वार्ता रिकॉर्ड है को सुपुर्द कर हिदायत दी की आप परिवादी व परिवादी के मामा ससुर के साथ रहेंगे। दलाल द्वारा इनको जब भी बुलाये तब आप कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर ही रवाना करें तथा जो हालात हो मुझे जरिये मोबाईल फोन/वॉटसएप कॉल अवगत करावे। तत्पश्चात परिवादी के पास रखे पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को परिवादी से श्री भास्कर हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी व परिवादी के मामा ससुर एवं श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को आवश्यक हिदायत देकर वहीं छोडा जाकर तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये वाहनो से मौके से समय करीब 01.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 2.40 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा लक्ष्मणगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहन के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि के कैरी बैग को परिवादी से श्री भास्कर हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को कार्यालय की टेबिल की रेक में रखवाया जाकर श्री भास्कर हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 7.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री मुनफेद खां ने जरिये वॉटसअप कॉल कर बताया कि फारिस खां की गफूर से बात हुई है तो उन्होनें बताया एसएचओ साहब अलवर गये हुये है। दिनांक 18.05.2026 को सुबह 8-9 बजे मिलने के लिए कहा है। तत्पश्चात वक्त करीब 7.30 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 18.05.2026 को 1.00 पीएम पर उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.05.2026 को समय करीब 07.30 एएम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिये वाट्सअप कॉल बताया कि आरोपी दलाल गफूर खां की सपरिवादी श्री फारिस खां से फोन पर बात हुई है। आरोपी ने सपरिवादी को अपने पिताजी के साथ थाने पर बुलाया है तथा सपरिवादी से भी वार्ता कराई गई सपरिवादी ने उक्त तथ्य बताये तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई जब भी सपरिवादी आरोपी के पास जाये तो टैप रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द करे तथा निगरानी रखने की मुनासिब हिदायत दी गई थी तथा मन उप अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया था।वक्त करीब 10.00 एएम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने नमूना आवाज की कार्यवाही हेतु गये हुये मन उप अधीक्षक पुलिस जरिये वाट्सअप अवगत कराया कि सपरिवादी को टेप रिकॉर्डर चालू कर वक्त करीब 08.45 पर आरोपी दलाल गफूर खां से हुई वार्ता अनुसार पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर भिजवाया गया था। जो पुलिस थाना लक्ष्मणगढ से करीब 30 मिनट बाद पुलिस थाना से बाहर आकर मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया जिसे मैनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी व सपरिवादी को साथ लेकर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. मय परिवादी गण श्री मुनफेद खां व श्री फारिस खां के उपस्थित कार्यालय आया तथा अपने पास से विभागीय डिजीटल टेप निकाल कर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी फारिस खां ने बताया कि दिनांक 17.05.2026 को मैं श्री गफूर खां के साथ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ गया तो एसएचओ साहब से मुलाकात नहीं हो पायी तो गफूर खां ने मुझसे शाम को मुलाकात करने के लिए कहा था। आपने आपके कर्मचारी को विभागीय टेप रिकॉर्डर के साथ हमारे पास छोड दिया था और आप वहां से आ गये थे शाम को समय मैनें गफूर खां से बातचीत कि तो गफूर खां ने मुझसे कहा कि मैं एसएचओ साहब से पूछकर बताता हूं। इसके थोडी बाद गफूर खां का फोन आया और बताया कि एसएचओ साहब अलवर

गये है आप अपने पिताजी को लेकर सुबह पुलिस थाना लक्ष्मणगढ आ जाना मैं एसएचओ साहब से मिलवा दुंगा, ये सारी बाते मैनें फोन पर बता दी थी और आज सुबह गफूर खां से फोन पर बात हुई तो गफूर खां ने कहा आप अपने पिताजी को लेकर थाने पर आ जाओं मैं आपको थाने पर मिलूंगा। इसके बाद आपके कर्मचारी ने और मैनें आपसे फोन पर बातचीत की तो आपके निर्देशानुसार आपके कर्मचारी ने टेप रिकॉर्डर मुझे चालू कर मुझे दिया जिसे मैं अपने साथ लेकर मेरे पिताजी के साथ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर गया आपका कर्मचारी भी दूसरी मोटरसाईकिल से पीछे पीछें आकर थाने के पास खडा हो गया। मैं और मेरे पिताजी थाने के अन्दर चले गये जहां पर गफूर खां मौजूद मिला जो हमे लेकर कर एसएचओ के क्वार्टर पर लेकर गया और हम लोग क्वार्टर के बाहर ही रूक गये कुछ देर बाद एसएचओ साहब बाहर आ गये हम लोगो ने दुआ सलाम की एसएचओ साहब ने मुझे वहां से जाने का कहा और मेरे पिताजी व गफूर खां के साथ बातचीत करने लग गया। मैं थोडा साईड में रूक गया तो एसएचओ साहब ने मुझे वहां खडा देख कर मुझसे " अरे तू जावे क्यो नाय " दुबारा दूर जाने का कहा इस पर मैं एसएचओ साहब के क्वाटर से रवाना होकर थाना परिसर से बाहर गेट के पास बनी थडी पर बैठ गया कुछ देर बाद मेरे पिताजी व गफूर खां एसएचओ साहब लक्ष्मणगढ से मिलकर मेरे पास थडी पर आये और गफूर खां ने कहा एसएचओ से सब बात हो गई मुनफेद के भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व चचेरे भाई साजिद के नाम निकलवाने के लिए पांच लाख की कही है पर मैनें मुनफेद से दिनांक 15.05.2026 को चार लाख रूपये तय हो गये थे इसलिए एसएचओ साहब को चार लाख रूपये की ही कही है। इस पर मैनें वहीं से ही मुनफेद के मोबाईल पर फोन कर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर बातचीत कर गफूर खां और एसएचओ के साथ हुई पूरी बात बता दी उसके बाद गफूर खां ने मुझसे कहा कि तुम मुनफेद के साथ तयषुदा चार लाख रूपये लेकर मेरे पास लेकर आ जाना मैं एसएचओ साहब से तुम्हारा काम करवा दुंगा। इसके बाद गफूर खां थाने पर रूक गया, मैं और मेरे पिताजी मोटरसाईकिल से थाने से रवाना होकर थाने से लगभग 01 किलोमीटर दूर जाकर रूख गये हमारे पीछे पीछे आपका कर्मचारी सुण्डाराम आ गया जिसे साईड में जाकर चालू हालत में रिकॉर्डर को दे दिया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद आपके निर्देषानुसार मैं, मुनफेद व आपका कर्मचारी सुण्डाराम आपके कार्यालय आ गये। उक्त बातो की ताईद श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने भी की। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कार्तिक नन्दा व राजन मीणा के समक्ष डिजीटल टेप रिकॉर्डर के स्पीकर को ऑन कर मुख्य अंष सुना गया तो सपरिवादी के बताये तथ्य पाये गये। तत्पष्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां के समक्ष सपरिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) व श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के मध्य दिनांक 18.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता व मोबाईल वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 8 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 02 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड को रिकॉर्डर से निकालकर विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी, सपरिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। सपरिवादी श्री फारिस खां ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की, परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) एवं श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक की आवाज होने की पहचान की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk 32 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मुनफेद खां के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.05.2026 व 18.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा आर्टीकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान ने दलाल गफूर खां की लोकेशन जानने के लिए सपरिवादी श्री फारिस खां के मोबाईल से गफूर खां के मोबाईल पर कॉल करवाया गया, तो स्विच ऑफ आया। कुछ समय बाद भी कई बार कॉल कराया गया तब भी गफूर खां का मोबाईल स्विच ऑफ ही आया। इस पर

परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां को जब भी आरोपी दलाल गफूर खां का जब भी पैसे के लिए फोन आये तो मन उप अधीक्षक को अवगत कराने की हिदायत दी जाकर एसीबी कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 20.5.2026 को वक्त करीब 5.30 पी.एम पर परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने अवगत कराया कि दलाल गफूर खां का मेरे मामा ससूर श्री फारिस खां के पास आज सुबह फोन आया था और कह रहा था आप बहोत बिजी चल रहे हो हमारा काम नहीं कर रहे है। एफआरआई में से नाम नहीं निकलवाने है क्या एसएचओ साहब कह रहे है पैसे क्यूं नहीं आ रहे है। उक्त बातो की ताईद परिवादी के साथ आये स्वयं श्री फारिस खां ने भी की। परिवादी ने ये भी बताया कि गफूर खां फारिस से ही बात करता है। अब मेरे से बात नहीं करता है।वक्त करीब 6.00 पी. एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB लगाकर को परिवादी व सपरिवादी को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी व सपरिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर सपरिवादी को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो सके वह दलाल श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति) से अपने भांजे श्री मुनफेद खां के भाई व जीजा एवं ताऊ के लडके के खिलाफ दर्ज मुकदमें से नाम लिकलवाने के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता एसएचओ लक्ष्मणगढ की उपस्थिति में करे या फोन पर लाउड स्पीकर एसएचओ से दलाल की वार्ता कराने का प्रयास करें तथा दलाल व एसएचओ लक्ष्मणगढ से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सपरिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई0 की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सपरिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर सपरिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। श्री सुण्डाराम हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी व सपरिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी, सपरिवादी व श्री सुण्डाराम हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.45 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिये वॉटसअप कॉल कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी व सपरिवादी के साथ गफूर के गांव मौजपुर पहूंचे जहां सपरिवादी के मोबाईल से दलाल गफूर खां के मोबाईल पर वार्ता कराई तो दलाल गफूर खां ने मीणा होटल के पास मिलने की कहां। जिस पर मैनें कार्यालय का डिजीटल टैप रिकॉर्डर को चालू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर दिया मैं व परिवादी कुछ दूरी पर छुपाव लेते हुये खडे हो गये। कुछ समय बाद मोटर साईकिल से दलाल गफूर खां सपरिवादी के पास आया और बातचीत करने लगे कुछ समय बाद दलाल सपरिवादी से वार्ता करने के बाद साथ लाई हुई मोटरसाईकिल से मौजपुर की तरफ रवाना हो गया। जिसके बाद सपरिवादी हमारे पास आया और रिकॉर्डर को चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और सपविदी ने बताया कि गफूर खां ने चार लाख रूपये रिश्वत राशि के लिए ही कहा है मेरे द्वारा मुनफेद के ताऊ के लडके द्वारा पैसे नहीं देने के लिए कहा तो पैसे कम करने के लिए कहा और एसएचओ से मिलने या फोन पर बात करने के लिए कहा तो गफूर खां ने अधिकारियों के मोबाईल रिकॉर्ड पर होने की कही इसलिए एसएचओ फोन पर बात नही करता है। मैं कल सुबह तेरे को एसएचओ साहब से मिलवा दुंगा, आप कल सुबह आ जाना। श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने सपरिवादी से बात कराई गई तो उक्त बातों की ताईद की गई। जिस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सपरिवादी द्वारा बताये अनुसार दिनांक 21.05.2026 को सुबह कराये जाने वाले रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सपरिवादी के साथ उसके घर पर रूखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 21.05.26 को वक्त करीब 8.30 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिये वॉटसअप कॉल कर बताया कि आज सपरिवादी के मोबाईल से दलाल गफूर खां के मोबाईल पर वार्ता कराई तो दलाल गफूर खां ने बताया कि एसएचओ साहब आज नहीं मिलेगे किसी काम में व्यस्त है। बाद में मिलने की कह रहें है। श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने सपिवादी से बात कराई गई तो उक्त बातों की ताईद की गई। जिस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सपरिवादी को वहीं छोडकर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत दी गई। वक्त करीब 10.30 ए.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से दिनांक 20.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम ने बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर परिवादी व सपरिवादी के साथ गफूर के गांव मौजपुर पहूंचे जहां सपरिवादी के मोबाईल से दलाल गफूर खां के मोबाईल पर वार्ता कराई तो दलाल गफूर खां ने मीणा होटल के पास मिलने की कहां। जिस पर मैनें कार्यालय का डिजीटल टैप रिकॉर्डर को चालू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर दिया मैं व परिवादी कुछ दूरी पर छुपाव लेते हुये खडे हो गये। कुछ समय बाद मोटर साईकिल से दलाल गफूर खां सपरिवादी के पास आया और बातचीत करने लगे कुछ समय बाद दलाल सपरिवादी से वार्ता करने के बाद साथ लाई हुई मोटरसाईकिल से मौजपुर की तरफ रवाना हो गया। जिसके बाद सपरिवादी हमारे पास आया और रिकॉर्डर को चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और सपविदी ने बताया कि गफूर खां ने चार लाख रूपये रिश्वत राशि के लिए ही कहा है मेरे द्वारा मुनफेद के ताऊ के लडके द्वारा पैसे नहीं देने के लिए कहा तो

पैसे कम करने के लिए कहा और एसएचओ से मिलने या फोन पर बात करने के लिए कहा तो गफूर खां ने अधिकारियों के मोबाईल रिकॉर्ड पर होने की कही इसलिए एसएचओ फोन पर बात नही करता है। मैं कल सुबह तेरे को एसएचओ साहब से मिलवा दुंगा, आप कल सुबह आ जाना। मैनें आपकी सपिवादी से बात कराई गई तो सपरिवादी ने भी उक्त बातों की ताईद की गई थी। जिस पर आपने मुझको सपरिवादी द्वारा बताये अनुसार कल दिनांक 21.05.2026 को सुबह कराये जाने वाले रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सपरिवादी के साथ उसके घर पर रूखने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद आज दिनांक 21.05.2026 को सुबह करीब 08ः00 बजे सपरिवादी के मोबाईल से दलाल गफूर खां के मोबाईल पर वार्ता कराई तो दलाल गफूर खां ने बताया कि एसएचओ साहब आज नहीं मिलेगे किसी काम में व्यस्त है। बाद में मिलने की कह रहें है। उक्त बाते मेरे द्वारा आपको जरिये वाट्सअप कॉल बता दी थी व सपरिवादी से भी वार्ता करा दी थी। फिर आपके निर्देशानुसार सपरिवादी को वहीं छोडकर कार्यालय उपस्थित आ गया। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर वार्ता के मुख्य अंश को सुना तो सपरिवादी से संदिग्ध आरोपी दलाल गफूर द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में दर्ज मुकदमें में से परिवादी के भाई व जीजा एवं चचेरे भाई के नाम निकलवाने के लिए एसएचओ नेकी राम के लिए 4,00,000/- रूपये की मांग करना व सपरिवादी को एसएचओ से मिलवाने की वार्ता पाई गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 01.06.2026 को वक्त करीब 2.40 पी.एम पर परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां उपस्थित कार्यालय आये एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 28.08.2025 को आपके कार्यालय में श्री नेकी राम, एसएचओ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर व उसके दलाल श्री गफूर खां को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.05.2026, 17.05.2026, 18.05.2026 व 20.05.2026 को मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी गई थी जिसमें दलाल श्री गफूर खां द्वारा श्री नेकीराम एसएचओ लक्ष्मणगढ के लिए 4,00000/-रूपये की मांग की गई तथा दिनांक 18.05.2026 को कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन के समय मेरे मामा ससुर श्री फारिस खां व उनके पिताजी को दलाल श्री गफूर खां के साथ श्री नेकीराम, एसएचओ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के पास भेजा था लेकिन एसएचओ नेकीराम ने मेरे माम ससुर फारिस खां को कमरे से बाहर कर दिया था मामा ससुर के पिताजी व दलाल गफूर खां ने ही वार्ता की थी, आपके कार्यालय का टेप रिकॉर्डर मामा ससुर के पास होने के कारण एसएचओ साहब की मामा ससुर व दलाल से हुई बात रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसके बाद दिनांक 20.05.2026 को कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन में मामा ससुर श्री फारिस खां द्वारा एसएचओ साहब से दुबारा मुलाकात के लिए कहा तो दलाल ने अगले दिन मिलाने का कहा था लेकिन दिनांक 21.05.2026 को दलाल गफूर खां ने मामा ससूर श्री फारिस खां का फोन नहीं अटैन्ड नहीं किया था। इसके बाद दलाल गफूर खां को फोन किया था तो उन्होने कहा कि मुझे तेरे पर शक हो गया है। मै तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे है। अतः अब श्री गफूर खां दलाल को हमारे ऊपर शक हो गया है। जिससे अब गफूर खां मेरे से व मेरे मामा ससुर फारिस खां से रिश्वत की राशी नहीं लेगा साथ ही परिवादी ने टाईपशुदा एक प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरशुदा इस आशय का पेश किया ''मैं मुनफेद खां पुत्र श्री पाच्या खां निवासी ग्राम कफनवाडा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर मैनें दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के मुकदमा नम्बर 193/2026 ठगी के मुकदमे में मेरे भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व चचेरे भाई साजिद का नाम हटवाने के एवजं में एसएचओ लक्ष्मणगढ श्री नेकीराम, विजय मीणा व गफूर खां दलाल द्वारा पांच लाख रूपये रिश्वत मांगने की रिपोर्ट की थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही में 4,00,000/-रूपये की मांग की गई थी। परन्तु मेरे पास 250000/-रूपये की व्यवस्था होने के कारण मैं उक्त 250000/-रूपये में ही ट्रेप कार्यवाही करवाना चाह रहा था, जो उक्त रकम मैनें आपके प्रस्तुत की थी। परन्तु अब सम्भवतया गफूर खां व एसएचओ नेकीराम को मेरे द्वारा कोई षिकायत या ट्रेप कराने की शक शंका होने से अब मेरे से रिश्वत नहीं मांग रहे है और आगे भी रिश्वत लेने की सम्भावना नहीं है। तत्पष्चात पाबन्दषुदा गवाहान श्री कार्तिक नन्दा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व श्री राजन मीणा, कनि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का पुनः आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री मुनफेद खां व सपरिवादी श्री फारिस खां करवाया गया और ब्यूरो द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री मुनफेद खां द्वारा दिनांक 01.06.2026 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष व परिवादी मुनफेद खां एवं सपरिवादी श्री फारिस खां के समक्ष सपरिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मध्य दिनांक 20.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई मोबाईल/रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड को रिकॉर्डर से निकालकर विभागीय

लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में सपरिवादी श्री फारिस खां एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण सपरिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। सपरिवादी श्री फारिस खां ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की, संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) की आवाज होने की पहचान की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी Sandisk 32 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क C1 C2 C3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मुनफेद खां व सहपरिवादी श्री फारिस खां के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क C1 C2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क C1 C2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क C3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-3 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से तैयार करवाई गई। उक्त प्रकिया जरिये फर्द तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 5.50 पी.एम पर सिल्डशुदा आर्टीकल एसडी कार्ड मार्क SD-1, SD-2, SD-3 व सिल्डशुदा पेन ड्राईव मार्क A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया तथा पेन ड्राईव मार्क A-3, B-3, C-3 को खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की कार्यवाही में परिवादी श्री मुनफेद खां पुत्र श्री पाच्या खां ग्राम कफनवाडा थाना लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.05.2026 को संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर में दर्ज अपराध संख्या 193/2026 में परिवादी के भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व ताऊ का लडका साजिद का नाम निकलवाने की एवजं में श्री नेकीराम,पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के लिए 4,00,000/-रूपये की रिश्वत की मांग करना व श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर से मिलवाने की कहना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.05.2026 को संदिग्ध आरोपी श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा परिवादी के मामा ससूर सपरिवादी श्री फारिस खां व उसके पिताजी को पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर बुलाकर श्री नेकीराम पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर से थाना परिसर में बने थानाधिकारी के क्वाटर पर ले जाकर मिलवाने पर श्री पर श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री फारिस खां को स्वयं की आवास से बाहर जाने के लिये कहना इस पर परिवादी कुछ दुर खडे हो जाने के बाद श्री नेकीराम पुलिस निरीक्षक की नजर कुछ दूर खडे सपरिवादी पर जाने से सपरिवादी को पुनः (''अरे तू जावे क्यू नाय '') की कहना तथा इसके बाद थानाधिकारी श्री नेकीराम पु.नि. के द्वारा दलाल श्री गफूर खां व सपरिवादी के पिताजी.से परिवादी के परिजनो के नाम दर्ज अपराध में निकालने के लिये बातचीत करना तथा थानाधिकारी से वार्ता करने के बाद '' दलाल श्री गफूर खां सरकारी आवास से सपरिवादी के पिताजी के साथ बाहर आकर तत्काल ही सपरिवादी से निम्न वार्ता की गईः- सपरिवादी - होगी थानेदार सू बात, दलाल -हो तो गई बात कर तो रहे है। सपरिवादी- इ थानेदार ही है दलाल- थानेदार तो है ई बडो............. तेरी गाडी के हाथ नही अडायगो कोई, दलाल- अब एसो करियो पैसा धेली लेकर शाम कू आजईयों मेरे पिय, मै जारो हूं बाहर, सपरिवादी- अच्छा दलाल- शाम कू आजईयों मेरे जोहरे लेके पैइसान ने मै टमसू ही आ जाउगों शाम कू सपरिवादी - हूं दलाल- मै बुला लू गो थानेदार आप आ जायगो, सपरिवादी- होगी पैइसान की बात ष् दलाल- पहले ही हुई पडी है पैइसा की भूतेरी दिन पहले हुई पडी है, सपरिवादी- है दलाल- बात ये अटक रही है, की ले कैसे, सपरिवादी- हूं दलाल- यही अटक रही है बात दलाल- भाई नकी दस लाख से उतार उतार कर चार लाख में क्लियर कराई है, चार लाख क्लियर क्लियर है......चार लाख में भाई जैसे तू देवे तो तू दे दीजो अपने आप नही भाई पांच सू ना उतर रहो देख चार करनो पडगो मेरो रिस्तेदार है रिस्तेदारी निभानी पडे भाई .....सारो पहले ही हो जातो पण डर की वजह सू बतला ना सके उ वजह सू............. सपरिवादी व आरोपी दलाल के मध्य वार्ता होने के उपरान्त सपरिवादी फारिस खां ने परिवादी श्री मुनफेद को फोन मिलाकर बातचीत की और दलाल गफूर खां ने निम्न वार्ता कि गईः- दलाल गफूर स्पष्ट रूप से परिवादी को '' अरे शाम को पहूंचा दी जे तू जासे बीमारी खत्म हो यार टेम ना लेरो टेम ना लेय पैइसान कू पतो ही है'' की कहता है, जिस पर दलाल द्वारा चाल लाख करा है कि वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई है। उपरोक्त वार्ता में दलाल गफूर खां द्वारा स्पष्ट रूप से चार लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई है। सत्यापन वार्ता दिनांक 20.05.2026 को

सपरिवादी श्री फारिस खां द्वारा श्री गफूर खां (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) से श्री नेकीराम, थानाधिकारी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर से मिलाने पर 4,00,000/-रूपये रिश्वत राशी में से कम करवाने की कहने पर श्री गफूर खां द्वारा ये कहना की थानाधिकारी का फोन रिकॉर्डिंग पर होते है, वो फोन पर बातचीत नही करेगे की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई है। उक्त कार्यवाही में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 15.05.2026, 18.05.2026 व 20.05.2026 की वार्ताओं से श्री नेकीराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के द्वारा भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर आरोपी श्री गफूर खां प्राईवेट व्यक्ति दलाल को सहमति दी जाकर उससे मिलभगत कर स्वयं के लिये परिवादी के भाई मुस्तकिम व जीजा साकिर व ताऊ का लडका साजिद का नाम पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में दर्ज अपराध संख्या 193/2026 उक्त प्रकरण से नाम हटाने के लिये श्री गफूर खां प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मार्फत परिवादी श्री मुनफेद व सपरिवादी श्री फारिस खां से 4,00,000 /-रूपये रिश्वत मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। दौराने सत्यापन परिवादी श्री मुनफेद परिवादी के परिजनो के विरूद्ध पुलिस थाना लक्ष्मणगढ मे दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नं 193/2026 दिनांक 11.05.2026 का अनुसंधान श्री नेकीराम पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के पास लम्बित था। अतः आरोपी श्री गफूर खां पुत्र श्री जुम्मा खां उम्र 55 साल जाति मेंव निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। संदिग्ध आरोपी श्री नेकीराम जाट पुत्र श्री बंशीधर जाट उम्र 51 साल जाति जाट निवासी बालाका वाली पोस्ट चला तहसील नीम का थाना जिल सीकर तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर की संलिप्ता के क्रम में अनुसंधान के दौरान स्पष्ट किया जा सकेगा। भवदीय शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर.......कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम-अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गफूर खां पुत्र श्री जुम्मा खां उम्र 55 साल जाति मेंव निवासी ग्राम मोजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 51 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1285-87 दिनांक 04.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 3- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम-अलवर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURJEET SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/08/2026 11:30:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)